महत्वपूर्ण/समयबद्ध

संख्या 150/18–XIX–2/57 खाद्य/2017

प्रेषक,

आनन्द बर्द्धन,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. आयुक्त
गढ़वाल मण्डल /कुमायूँ मण्डल,
उत्तराखण्ड।
2. आयुक्त,
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग,उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. जिलाधिकारी,
ऊधमसिंहनगर/हरिद्वार/देहरादून/नैनीताल,
उत्तराखण्ड।
4. निदेशक कृषि,
उत्तराखण्ड।
5. निदेशक मण्डी परिषद,
उत्तराखण्ड, हल्द्वानी।
6. संभागीय खाद्य नियंत्रक
गढवाल संभाग, देहरादून/कुमायूँ संभाग, हल्द्वानी।

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले अनुभाग–2 **दिनाँक : देहरादूनः 12 फरवरी, 2018**

विषयः रबी विपणन सत्र 2018–2019 में मूल्य समर्थन योजना के अर्न्तगत गेहूँ की खरीद के दिशानिर्देश।

महोदय,

आप अवगत हैं कि कृषकों को उनके उपज का उचित एवं लाभकारी मूल्य दिलाये जाने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा प्रतिवर्ष खरीद प्रारम्भ होने से पूर्व गेहूँ का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करते हुये कृषकों से गेंहूँ क्रय करने हेतु दिशानिर्देश जारी किये जाते हैं। इस वर्ष भी गत वर्षों की भांति दिनांक 01 अप्रैल, 2018 से रबी–खरीद सत्र प्रारम्भ हो जायेगा। ऐसी स्थिति में राज्य सरकार का यह दायित्व हो जाता है कि मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत गेहूँ खरीद हेतु भारत सरकार से दिशानिर्देश प्राप्त होने से पूर्व ही खरीद हेतु समुचित व्यवस्थायें पूर्ण कर ली जायें ताकि समय से बिना किसी अवरोध के गेहूँ खरीद जैसा महत्वपूर्ण कार्य प्रारम्भ किया जा सके।

2– इस सम्बन्ध में शासन स्तर पर लिये गये निर्णय के अनुसार मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आगामी रबी–खरीद सत्र 2018–2019 में मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत केवल जोत बही के आधार पर ही उत्तराखण्ड के कृषकों द्वारा उत्पादित गेहूँ ही राज्य सरकार की क्रय एजेन्सियों द्वारा स्थापित केन्द्रों पर क्रय किया जायेगा। राजस्व विभाग, उत्तराखण्ड के कृषकों के द्वारा उत्पादित गेहूँ की संगणना एवं विपणन योग्य अधिशेष गेहूँ की मात्रा के सम्बन्ध में किसानवार एवं ग्रामवार सूची तत्परता से तैयार करेगा। इन सूचियों में किसान द्वारा बोये गये गेहूँ का क्षेत्रफल, उत्पादन की सम्भावित मात्रा, सम्भावित विपणन योग्य सरप्लस आदि का अंकन होगा। इन सूचियों के आधार पर ही क्रय केन्द्रों पर किसान के गेहूँ को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर क्रय किया जायेगा।

क्रमशः... 2 पर

3— सम्बन्धित जिलाधिकारी उपरोक्तानुसार सूचियां तैयार कर सम्बन्धित खाद्य नियंत्रक को विलम्बतम दिनांक 30 मार्च 2018 तक उपलब्ध करा देंगें। जिलाधिकारी एवं सम्भागीय खाद्य नियंत्रक का यह दायित्व होगा कि वे ग्रामों को प्रस्तावित क्रय केन्द्रों पर इस प्रकार सम्बद्ध करेंगें कि कृषकों को कम से कम दूरी तय कर अपनी उपज को क्रय केन्द्रों पर, विक्रय ले जाने में किसी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े।

4— ई—प्रोक्योरमेंट हेतु क्रय केन्द्रों पर कम्प्यूटर/लैपटॉप/आई—पैड, इन्टरनेट व अन्य आवश्यक उपकरणों की उपलब्धता के साथ ई—प्रौक्योरमेंट हेतु मास्टर डेटा में आवश्यक सूचनाओं की फीडिंग दिनांक 25.03.2018 तक अवश्य पूर्ण कर ली जाय।

5— उपरोक्तानुसार सूचनाओं को प्राथमिकता के आधार पर तैयार करना सुनिश्चित किया जाय ताकि किसानों को उनके उत्पादन का निर्धारित मूल्य मिल सके और उन्हें आवश्यक कठिनाईयों एवं उत्पीड़न से बचाया जा सके। इस सम्बन्ध में कृत कार्यवाही से शासन को भी यथासमय अवगत कराया जाय।

कृपया उक्त कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का कष्ट करें।

भवदीय,

(आनन्द बर्द्धन),
प्रमुख सचिव